1989 and order dated 24.8.1993 in Review Petition (C) No. 249 of 1992 in the All India Judges Association & Ors. *versus* Union of India & Ors. came up before the Court on 10.4.1995 and the Court directed all the State Governments/UTs to comply with their earlier directions, including the one to provide residential accommodation to all Judicial Officers of the Subordinate Judiciary by 31.7.1995.

(b) No, Sir. The Central Government has released the following amount to the Government of Maharashtra under the Centrally Sponsored scheme:

Year	Rs. in Lakhs
1993-94 (Full share)	193.80
1994-95 (Full share)	377.35
1995-96 (Ist instalment)	159.00 (Out of the tentative allotment of Rs. 316.90 lakhs)

(c) Does not arise.

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) जासूसी कांड की जांच

2392. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने "इसरो" जासूसी कांड में आसूचना ब्यूरो द्वारा एकत्रित किये गये प्रमाणों को मानने से इन्कार कर दिया है;

(ख) "इसरो" जासूसी कांड में कितने लोगों के खिलाफ आसूचना ब्यूरो द्वारा आरोप पत्र तैयार किया गया है और उक्त कांड में कितने लोगों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आरोप पत्र तैयार किया गया है; और

(ग) इस मामले में की गई कार्यवाही का पूर्ण तथ्यात्मक ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) द्वारा जांच अभी भी जारी है।

(ख) आई.बी.ने किसी भी व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट तैयार नहीं की है। सी०बी०आई० ने छः व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

(ग) मुकदमें के तथ्य निम्नानुसार है:—

सामाजिक शैक्षणिक विकास केंद्र द्वारा लगाये गये इंडिया मार्क—II वैधता

तिरूवनन्तपुरम में विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 के साथ पठित विदेशियों विषयक आदेश 1948 के अधीन भारत में विधारित अवधि से अधिक समय ठहरने के लिए एक विदेशी राष्ट्रिक के विरुद्ध मामले की जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों को भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के एक केंद्र द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, तिरूवनन्तपुरम के एक वैज्ञानिक और उक्त विदेशी राष्ट्रिक के बीच कुछ संबंधों को सूचित करने वाला प्रमाण मिला। यह सन्देह व्यक्त किया गया कि इसरो के कुछ वर्गीकृत दस्तावेजों को विदेशी को प्रकट कर दिया गया है। अतः भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 34 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 की धारा 3 और 4 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया। इस मामले को दर्ज करने के बाद इसरो के 2 वैज्ञानिकों, 2 विदेशियों और 2 व्यवसाइयों सहित छः व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। केरल सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने इस मामले को हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) को सौंप दिया है और सी.बी.आई. ने विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 की धारा 14 के साथ पठित विदेशियों विषयक आदेश 1948 की धारा 7 के अन्तर्गत आर.सी.—10(एस.)/94-एस.आई.यू.बी./एस.आई.सी.—II नई दिल्ली तथा आई.पी.सी. की धारा 34 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 की धारा 3, 4 और 5 के अन्तर्गत आर.सी. II (एस.)/94.एस.आई.यू.-वी./एस.आई.सी-II के अधीन मामले दर्ज किये हैं। सभी छः अभियुक्तों को जमानत प्रदान की गई। फिर भी, दो विदेशी राष्ट्रिक अपेक्षित जमानत-नामा प्रस्तुत करने में अपनी असमर्थता के कारण अभी भी जेल में हैं। मामले पर जांच की जा रही है।